1

पत्रांक 10/म4-12/2004मा0 77

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रेषक

श्री हेमचन्द्र झा
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 7-12-2004 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त्त के साथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को करना होगा।

(1) पी0सी0 हाई स्कूल, परसा, समस्तीपुर
(2) डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, दाउदनगर, औरंगाबाद
(3) हेरो इंग्लिश स्कूल, विद्यापति चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा
(4) अररिया पब्लिक स्कूल, अररिया
(5) विजेन्द्र पब्लिक स्कूल, पूर्णियाँ
(6) ब्रिलियेन्ट पब्लिक स्कूल, पुरानी बिजली कॉलोनी, जहानाबाद
(7) डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, मानपुर, कईया, गया
(8) जयहिन्द पब्लिक स्कूल, विज्ञाननगर, गया डोभी रोड, बोधगया
(9) टी0 रजा हाई स्कूल, बी0एम0 दास रोड, पटना
(10) ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज चौकी, पटना
(11) एस0ए0डी0एन0 कॉन्वेन्ट स्कूल, चांदनी चौक, भोजपुर
(12) सेंट माइकेल्स एकेडमी (इंगलिश मीडियम) कमलनाथनगर, बेतिया
(13) बुद्धा पब्लिक स्कूल 83, अम्बिकानगर, गया
(14) लोड्स एशियन स्कूल एशियन एकडस नहर चौक, बेली रोड, पटना

विश्वासभाजन,

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(कृ0प0)

(पी0टी0ओ0)

ज्ञापांक 77 पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

(क) विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो।

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

(ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,

(घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज में विभिन्न सोसायटी के बीच कटुता पैदा हो;

(च) सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुरूप भवनों में सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

(हेमचन्द्र दास)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 77 पटना, दिनांक 18-3-05

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक(मा०शि०)/निदेशक(प्रा०शि०)/संयुक्त सचिव मानवसंसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 77 पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री(प्रा० एवं मा०), मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।